प्रेस नोट **16 / 07 / 2024**

<u>पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी घायल / गिरफ्तार, कब्जे से एक अवैध पिस्टल एवं 02 जिंदा व 03 खोखा कारतूस तथा चोरी मो0साईकिल बरामद –</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध / अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री अजय विक्रम सिंह के नेतृत्व में एसओजी / स्वाट / सर्विलांस एवं थाना मुहम्मदाबाद पुलिस टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 16.07.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना कि ग्राम मीरपुर रहीमाबाद में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति पर जान से मारने की नीयत से जो फायर किया गया था, उसमें शामिल एक अभियुक्त चिरैयाकोट से मु0बाद की तरफ एक सुपर स्पेलेण्डर मोटर साइकिल से आ रहा है, इस सूचना पर करहां में चेकिंग प्रारम्भ कर दी गयी कि कुछ ही देर में एक मोटर साइकिल वाला आता हुआ दिखायी दिया जिसको पुलिस टीम द्वारा रूकने का इशारा किया गया तो मोटर साइकिल मोड़कर लग्गूपुर की तरफ भागने लगा की लग्गूपुर आजमगढ़ बार्डर पर चेकिंग कर रहे थाना द्वितीय मोबाइल के कर्म0गण को चेकिंग हेतु अवगत कराया गया तथा प्रभारी निरीक्षक मु0बाद व एसओजी व स्वाट टीम उस भागते हुए व्यक्ति का पीछा करने लगे की लग्गूपुर आजमगढ़ बार्डर पर मौजूद थाना द्वितीय मोबाइल को चेकिंग करता देख उक्त व्यक्ति मोटर साइकिल मोड़कर पुनः करहां की तरफ भागना चाहा लेकिन दोनो तरफ से खुद को पुलिस से घिरा देखकर मेन रोड से तिलसवां भठ्ठा मोड़ नहर पुलिया के पास मोटर साइकिल मोड़ा तो मोटर साइकिल से अनियंत्रित होकर खाली पड़े खेतो में गिर गया तथा गिरने के बाद पकड़े जाने की डर से उक्त द्वारा फायरिंग की गयी, जवाबी फायरिंग के दौरान उक्त के बांये पैर में गोली लगी। तत्पश्चात उसें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल 9एमएम व 03 खोखा तथा 02 जिंदा कारतूस 9एमएम बरामद किया गया, जिसका इलाज कराया जा रहा है।

पूछताछ के दौरान उक्त द्वारा अपन नाम अजीत यादव पुत्र चन्द्रिका यादव निवासी ताहिरपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ बताया तथा कड़ाई से पूछताछ के दौरान बताया गया कि दिनांक 12.07.2024 को ग्राम मीरपुर रहीमाबाद में मैने अपने साथियो के साथ मिलकर प्रधानी के चुनाव की रंजिश को लेकर कौशल यादव उर्फ मंटू पुत्र जगदीश यादव निवासी अछार थाना सरायलखंसी जनपद मऊ जो बचपन से ही अपने मामा मिथिलेश यादव के घर पर ग्राम मीरपुर रहीमाबाद में रहता है को रात करीब 20.00 बजे उसके कार्यालय मीरपुर रहीमाबाद में पहूंच कर काफी मारपीट व तोड़ फोड़ किये थे। जान मारने की नीयत से कौशल यादव उर्फर् मंटू को गोली मारकर भाग गये थे।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–</u>

1. अजीत यादव पुत्र स्व0 चन्द्रिका यादव निवासी ताहिरपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. एक अवैध पिस्टल 32 बोर।
2. 02 जिंदा व 03 खोखा कारतूस 32 बोर।
3. चोरी की एक मो0साईकिल सूपर स्प्लेंडर। (यूपी54डीसी1657)

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

नि0 .धर्मेन्द्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मु0बाद जनपद मऊ, उ0नि0 उमाशंकर सिंह, उ0नि0 अमितेश मिश्रा, हे0का0 उदय प्रकाश यादव, का0 अखण्ड प्रताप सिंह, का0 रविपाल थाना मु0बाद जनपद मऊ

उ0नि0 मनोज कुमार सिंह एसओजी/स्वाट प्रभारी मऊ, हे0का0 अजय कुमार यादव, हे0का0 सुशील यादव, हे0का0 नीरज शर्मा, का0 विराट पटेल, का0 ज्ञानेन्द्र पाण्डेय एसओजी टीम, का0 अविनाश धर दूबे स्वाट का0 अनिरूद्ध सिंह, का0 अनुदेश दत्त बनौधा, का0 ऋषभ द्विवेदी स्वाट टीम मऊ

उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह सर्विलांस सेल प्रभारी मऊ, हे0का0 विवेक सिंह सर्विलांस सेल मऊ, का0 बृजेश मौर्य, का0 अश्विनी गोड सर्विलांस सेल मऊ।

अपराधिक इतिहास अजीत यादव–

1. मु0अ0सं0 773/14 धारा 307 भादवि थाना कोपागंज मऊ।
2. मु0अ0सं0 1482/15 धारा 302 भादवि थाना सरायलखंसी मऊ।
3. मु0अ0सं0 1352/15 धारा 394 भादवि थाना सरायलखंसी मऊ।
4. मु0अ0सं0 1080/15 धारा 307 भादवि व 3/25ए आयुद्ध अधि0 थाना रानीपुर मऊ।
5. मु0अ0सं0 1492/15 धारा 120बी,302 भादवि थाना मुहम्मदाबाद मऊ।
6. मु0अ0सं0 543/15 धारा 120बी,302 भादवि थाना दक्षिणटोला मऊ।
7. मु0अ0सं0 526/16 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना दक्षिणटोला मऊ।
8. मु0अ0सं0 462/18 धारा 120बी,302 भादवि थाना घोसी मऊ।
9. मु0अ0सं0 331/18 धारा 41,411 भादवि थाना घोसी मऊ।
10. मु0अ0सं0 329/18 धारा 307 भादवि थाना घोसी मऊ।
11. मु0अ0सं0 287/18 धारा 507 भादवि थाना घोसी मऊ।
12. मु0अ0सं0 202/18 धारा 120बी,307 भादवि थाना घोसी मऊ।
13. मु0अ0सं0 492/19 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना मधुबन मऊ।
14. मु0अ0सं0 220/2024 धारा 3(5)/115(2)/333/324/109 बी0एन0एस0 थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ।
15. मु0अ0सं0 224/2024 धारा 109/317(2) बी0एन0एस0 व 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ।

यातायात जागरुकता अभियान के क्रम में 18 वर्ष के कम उम्र के छात्र/छात्राओं द्वारा दो पहिया एवं चारपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने एवं नाबालिग बच्चों को वाहन देने वाले स्वामी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी यातायात के नेतृत्व में आज दिनांक 16.07.2024 को यातायात प्रभारी के नेतृत्व में जागरुकता अभियान चलाया गया। जिसमें डॉनवास्को पब्लिक स्कूल दसई पोखरा जनपद मऊ के नाबालिग छात्र/छात्राओं को वाहन न चलाने के बारे जागरुक किया गया। दो पहिया वाहन चालक के अलावा बैठे अन्य भी हेलमेट का उपयोग करें तथा यातायात/सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गयी।

एक वांछित तथा दो वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 15/16.07.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर रतनपुरा के पास से मु0अ0सं0 201/24 धारा 76,352,333,110,351(2),351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त रवि कुमार पुत्र देवानन्द राजभर निवासी रतनपुरा थाना हलधरपुर तथा घोसी पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण महेन्द्र पुत्र बरसाती, दिनेश पुत्र केरावन निवासीगण भटमिला थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 01 दोषसिद्ध अभियुक्त को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि व ₹2000 अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ACJM/SD जनपद मऊ द्वारा दिनांक 16-07-2024 को मु0अ0सं0 316/2006 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त रामप्रवेश गौड़ पुत्र शिवधारी निवासी सिसवा देवारा थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि की सजा एवं ₹2000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर दोषसिद्ध को 15 दिवस का साधारण कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी सिताबू शाह थाना मधुबन का सराहनीय योगदान रहा।